

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-41/2019-1125(५)/स्वा०,

पटना, दिनांक 13/06/2019

माननीय उच्च न्यायालय में दायर क्रिमिनल मिसलेनियस वाद संख्या-14945/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-15.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में एसीड अटैक में घायल श्री राघवेन्द्र, सुश्री निभा कुमारी एवं श्री राकेश कुमार के स्वास्थ्य जाँच के लिए निम्नांकित चिकित्सकों का जाँच दल गठित किया जाता है:-

1.	डा० राजीव सिंह-सर्जरी विभाग	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय दरभंगा ।
2.	डा० भी०एन०झा० -फार्सेसिक विभाग	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय दरभंगा ।
3.	डा० शशि बाला-स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय दरभंगा ।

2. एसीड अटैक में घायल सभी मरीज वर्तमान में अपने संबंधी श्री अशोक महतो/श्री गोपाल महतो पे -स्व० नूनू महतो ग्राम इजराहा थाना-छौराही, जिला-बेगूसराय के यहाँ आवासन कर रहे हैं। श्री अशोक महतो का मोबाईल नं०-8521094711 है।
3. जाँच दल को निदेश दिया जाता है कि 48 घंटे के अन्दर पीड़ितों के स्वास्थ्य की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

ह० / -

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 13/06/2019

ज्ञापांक-2/एल०-41/2019-1125(५)

- प्रतिलिपि : श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा, A.A.G.-07 सह-कार्यालय प्रभारी पटना उच्च न्यायालय पटना को उनके पत्रांक-5246 दिनांक-30.05.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : प्राचार्य/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय दरभंगा । उन्हें निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से भी संबंधित चिकित्सकों को निदेशित करना सुनिश्चित किया जाय ।
- प्रतिलिपि : सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

13.6.2019  
सरकार के संयुक्त सचिव